97 प्र/निग0/रीवा/2017/भू-270/2980

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

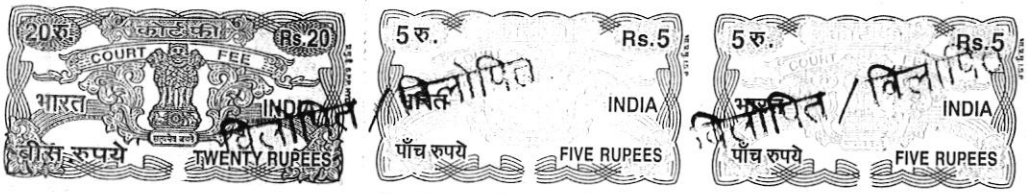

1— धीरेन्द्र वर्मा पिता स्व. श्री रामदुलारे वर्मा उम्र 56 वर्ष पेशा व्यापार निवासी मोहल्ला गोलपार्क बसस्टैण्ड रीवा म.प्र.

2— वीरेन्द्र वर्मा पिता स्व. श्री रामदुलारे वर्मा उम्र 50 वर्ष पेशा व्यापार मोहल्ला गोलपार्क तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

...................निगरानीकर्ता/अनावेदकगण

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा जिला रीवा म.प्र. ....अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी नजूल जिला रीवा प्र.क्र. 5 A/68/11—12 एवं 5 A/68/11—12 निर्णय दिनांक 25.07.2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

आवेदक गण की ओर से श्री निवास पटेल एड. द्वारा पेश। 22-8-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

महोदय,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण

यह कि भूमि सर्वे नं. 354/16 रकबा 3.40 ए. स्थित गोलपार्क बसस्टैण्ड रीवा उक्त भूमि तत्कालीन नगर पालिका रीवा द्वारा नियमानुसार भूमि का खंड, खंड, नक्शा प्लाट सहित दूकान बनाने की अनुमति प्रदान की गई तथा जमीन 90 वर्षों की लीज पर भारत के पदेन राष्ट्रपति के नाम पर पट्टे पर बंटित की गई। सन् 1956 में सभी दुकानों का निर्माण एक साथ किया गया जो आज भी मौके पर स्थित है उक्त दुकानों में कोई भी परिवर्तन या नया निर्माण नहीं किया गया है। यदि कोई आंशिक परिवर्तन किया गया है तो नगर पालिका रीवा द्वारा अनुमति प्राप्त करने के बाद किया गया उक्त प्लाट शासकीय भूखंड नहीं है अनुविभागीय अधिकारी हुजूर (श्री पाण्डेय) राजस्व विभाग का विवादित कर्मचारी है। पट्टे की भूमि को मनमानी शासकीय भूमि बताकर अपने पद को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

निगरानी के आधार निम्नांकित हैं—

1— यह कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत होने से कतई स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

2— यह कि मातहत न्यायालय जानबूझकर नाजायज ढ़ंग से आर्थिक लाभ लेने की नियत से कानून के विपरीत कार्यवाही करके पद की गरीमा के विपरीत कृत्य किया है।

........2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2017 / 2980

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-03-18	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, नजूल जिला रीवा के प्रकरण कमांक 5 अ–68 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 25–7–2017 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2 / निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3 / निगरानी मेमो के तथ्यों एंव अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार नजूल रीवा के प्रकरण कमांक 9 अ 68 / 11–12 में पारित आदेश दिनांक 18–12–2018 में कुसंयोजन का दोष होने के आधार पर नजूल अधिकारी सह अनुविभागीय अधिकारी से पुनरावलेकन की अनुमति मांगी है जिस पर से नजूल अधिकारी रीवा ने आदेश दिनांक 27–7–17 से इस प्रकार अनुमति प्रदान की है :– " तहसीलदार नजूल व्दारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन की अनुमति के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। तहसीलदार व्दारा शासकीय भूमि होने का लेख करते हुये अनुमति चाही गई है। अतः पुर्नविलोकन की अनुमति दी जाती है। साथ ही यह निर्देश दिया जाता है कि अनावेदक को सूचित करते हुये प्रकरण का निराकरण शीघ्रता से करें। " नजूल अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि अनावेदक को सूचित करके सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाय तभी प्रकरण का निराकरण किया जावे। आवेदकगण जो अनुतोष इस न्यायालय से प्राप्त करना चाहते हैं अनावेदकगण को नजूसीलदार नजूल के समक्ष पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जहां वह समुचित ढंग से बचाव प्रस्तुत कर पक्ष रख सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक तहसीलदार नजूल के प्रकरण को विलम्बित करने के उद्वेश्य से निगरानी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके कारण निगरानी सारहीन है अतः गुणदोष पर विचार किये बिना इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	